इलेक्ट्रॉनिक प्रकरण क्र. : /2017

प्रस्तुति दिनांक : 22/6/2017

(147)

श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प इंदौर (म.प्र.)

PBR/पुनर्विलोकन/खरगोन/भू-रा/2017/1913

श्रीमती लाडकीबाई बेवा श्री बंशीलाल सावनेर

मृत तर्फे वारिसान-

1- रामलाल पितास्व. श्री बंशीलाल सावनेर,
   उम्र 70 वर्ष, धंधा-अवर सचिव (सेवा निवृत्त) भोपाल

2- शंकरलाल पिता स्व. श्री बंशीलाल सावनेर,
   उम्र 50 वर्ष, धंधा नौकरी (लोकसेवक)

3- छगनलाल पिता स्व. श्री बंशीलाल सावनेर,
   उम्र 53 वर्ष, धंधा नौकरी (लोकसेवक)
   सभी निवासी 80, महात्मा गांधी मार्ग,
   खरगोन (म.प्र.) ---प्रार्थीगण

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन तर्फे तहसीलदार,
खरगोन, जिला खरगोन (म.प्र.) ---प्रतिप्रार्थी

पुनर्विलोकन याचिका अंतर्गत धारा 51 म.प्र. भू राजस्व संहिता

प्रार्थीगण द्वारा अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर केम्प, इंदौर प्रकरण क्र. आर. 2943-पी.बी. आर./12 के आदेश दिनांक 4/10/2012 से दुखित हो कर श्रीमान के समक्ष यह पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत है। आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी दि. 4/10/2012 श्रीमान के अवलोकनार्थ सादर संलग्न प्रस्तुत है । सदर याचिका निर्धारित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है । सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है ।

2पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR / रिव्यु / खरगोन / भू.रा. / 2017 / 1913

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि. आदि के हस्ताक्षर
27/7/17	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 एवं ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदिका की ओर से यह पुनर्विलोकन आवेदन पत्र इस न्यायालय के आदेश दिनांक 4–10–2012 के विरूद्ध दिनांक 22–6–17 को लगभग 4 वर्ष विलम्ब से भी अधिक प्रस्तुत की गई है । आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया है, और विलम्ब के सम्बन्ध में जो कारण दर्शाये गये हैं, वह समाधानकारक नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	